मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 12/09/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12/09/2024 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में मुरादाबाद एसईजेड की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (वाणिज्य विभाग के नामित पत्र दिनांक 3/09/2008 के अनुसार)
2. श्री जगदीश चन्द्र, सहायक डीजीएफटी, डीजीएफटी दिल्ली।
3. श्री योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त (उद्योग), डीआईसी, मुरादाबाद।
4. श्री देवेन्द्र कुमार तोमर, अधीक्षक, सीजीएसटी मुरादाबाद।
5. श्री सुरेन्द्र पाल, आईटीओ (मुख्यालय) कार्यालय पीसीआईटी, आयकर विभाग, मुरादाबाद
6. सुश्री गेसू मौर्य, क्षेत्र प्रबंधक,, यूपीएसआईडीए, मुरादाबाद एसईजेड के प्रतिनिधि

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र और (ii) विकास, सहायक विकास आयुक्त, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) भूषण शर्मा, अधीक्षक (सीमा शुल्क), मुरादाबाद एस.ई.जेड. अनुमोदन समिति की सहायता के लिए भी मौजूद थे। यह बताया गया कि निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक शुरू हो सकती है।

C. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/इकाईयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1.	**दिनांक 19/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।** दिनांक 19/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया। अतः दिनांक 19/06/2024 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।
2. 2.1	**स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण का प्रस्ताव।** **मेसर्स गोल्डमाइन ओवरसीज** 1. अनुमोदन समिति को बताया गया कि मेसर्स गोल्डमाइन ओवरसीज ने 11.07.2028 तक 5 वर्ष के दूसरे ब्लॉक के लिए 16.06.2016 को स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह बताया गया कि इकाई ने 5 वर्ष के अपने पहले ब्लॉक में बिना किसी विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के 1680.72 लाख रुपये का निर्यात किया

सुरेंद्र मलिक

	था। इसलिए, इकाई के लिए परिचालन के पहले ब्लॉक के लिए निवल विदेशी मुद्रा 1680.72 लाख रुपये था। इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 11.07.2023 को समाप्त हो गया और स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए समय के भीतर इकाई से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। 2. इकाई के भागीदार श्री सुमित गर्ग अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इससे पहले जब उनके पास ऑर्डर थे, तब उन्होंने लगभग 17 करोड़ रुपये का निर्यात किया था। हालांकि, कोविड के कारण उनका कारोबार बंद हो गया और उसके बाद पिछले 2 वर्षों से वे रीढ़ की हड्डी की बीमारी के कारण बिस्तर पर आराम कर रहे थे। अब उनके पास विदेशी खरीदार यानी ब्लैकरॉक जनरल ट्रेडिंग एलएलसी से टिन के टेबल पिलर के लिए लगभग 2.00 करोड़ रुपये का निर्यात ऑर्डर है। उन्होंने आगे बताया कि अपने स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के बाद वे 15 दिनों के भीतर अपना पहला शिपमेंट भेजने की योजना बना रहे हैं। 3. अनुमोदन समिति ने परिसर में पहले से स्थापित मशीनों की स्थिति के बारे में जानकारी ली, क्योंकि पिछले तीन वर्षों से वे काम नहीं कर रही थीं। श्री गर्ग ने बताया कि परिसर में सभी मशीनें अच्छी स्थिति में हैं। 4. यूपीएसआईडीए के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई पर उनके प्लॉट के लिए 6.50 लाख रुपए बकाया है, जिसका भुगतान इकाई को निवेश मित्र वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। यह 'अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अदेय प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। श्री गर्ग ने बताया कि वे स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के 70 दिनों के भीतर यूपीएसआईडीए के बकाया का भुगतान कर देंगे। 5. अनुमोदन समिति ने विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त को फाइल पर मामले में निम्नलिखित के अधीन उचित निर्णय लेने का अधिकार दिया: i. इकाई को खरीदार के पूर्ण पते, नाम और संपर्क विवरण के साथ एक संशोधित खरीद आदेश प्रस्तुत करना होगा, जिसे विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा आगे सत्यापित किया जाएगा। ii. इकाई को विकासक यूपीएसआईडीए के अपने लंबित बकाया का कम से कम 50% तुरंत भुगतान करना होगा।
2.2	**मेसर्स सेहर ओवरसीज.** 1. अनुमोदन समिति को बताया गया कि मेसर्स सेहर ओवरसीज ने 29.09.2017 को 23.09.2028 तक 5 साल के दूसरे ब्लॉक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण

सुरेंद्र मलिक

	के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह बताया गया कि इकाई ने अपने 5 साल के पहले ब्लॉक में बिना किसी विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के 1.02 लाख रुपये का निर्यात किया था। इसलिए, इकाई के लिए निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अपने पहले संचालन ब्लॉक के लिए 1.02 लाख रुपये था। इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 23.09.2023 को समाप्त हो गया और स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए इकाई से 11.09.2023 को अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसमें प्रस्ताव में कमियां पाई गईं और इसके बारे में सूचित किया गया। हालाँकि, इकाई ने मांगी गई पूरी अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की, जिसके कारण इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। 2. इकाई के भागीदार श्री अदनान आरिफ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री आरिफ ने बताया कि शुरू में इकाई एक स्वामित्व इकाई थी जिसे श्री मोहम्मद फहीम अहमद और श्रीमती शाहीन साबरी को इकाई में भागीदार के रूप में जोड़कर साझेदारी इकाई में बदल दिया गया था। इकाई के संविधान को बदलने के बाद, शुरुआती 2 साल कोविड के कारण बर्बाद हो गए और उन्होंने 2020-21 में एक छोटी खेप का निर्यात किया। उसके बाद, उन्हें हस्तशिल्प के निर्यात के लिए कोई ऑर्डर नहीं मिला और इसलिए वे 5 साल के पहले ब्लॉक की शेष अवधि के लिए काम नहीं कर पाए। अब, उन्हें यूएई स्थित अपने विदेशी खरीदार से टिन इनगट के लिए लगभग 2.00 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। उन्होंने आगे बताया कि उनके खरीदार ने उनके खरीद ऑर्डर को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है जिसे उन्हें तुरंत निष्पादित करने की आवश्यकता है। 3. यूपीएसआईडीए के प्रतिनिधि ने बताया कि इकाई पर उनके प्लॉट के लिए 1.02 लाख रुपए बकाया है, जिसका भुगतान इकाई को निवेश मित्र वेबसाइट के माध्यम से करना था। यह 'अनापत्ति प्रमाण पत्र/ अदेय प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। 4. अनुमोदन समिति ने विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त को फाइल पर मामले में उचित निर्णय लेने का अधिकार दिया, जो निम्नलिखित के अधीन है: i. इकाई को विकासक यूपीएसआईडीए के लंबित बकाया का भुगतान जल्द से जल्द करना होगा। ii. विकास आयुक्त कार्यालय को इकाई द्वारा प्रस्तुत खरीद आदेश को सत्यापित करना होगा।
3.	**आर्टिस्टा होम (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी नाम/संविधान बदलकर आर्टिस्टा होम प्राइवेट लिमिटेड करने का प्रस्ताव:** 1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स आर्टिस्टा होम (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड ने आर्टिस्टा होम (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड के संविधान में परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें कंपनी का नाम आर्टिस्टा होम प्राइवेट

सुरेंद्र मलिक

लिमिटेड में अनिवार्य परिवर्तन शामिल है। यह सूचित किया जाता है कि इकाई ने 12.04.2023 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है और इसका स्वीकृति पत्र (LOA) 11.04.2028 तक वैध है। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 के दौरान, इकाई का निर्यात 13.30 लाख रुपये था, जिसमें कोई विदेशी मुद्रा बहिर्वाह नहीं था। इसलिए, इकाई के लिए निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अपने संचालन के पहले वर्ष के लिए 13.30 लाख रुपये रहा।

2. इकाई के निदेशक श्री विपुल सचदेवा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि एमसीए विनियमों के अनुसार ओपीसी कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित होना आवश्यक है, यदि उसकी चुकता पूंजी या औसत वार्षिक कारोबार एक सीमा से अधिक हो जाता है। इसलिए वे स्वेच्छा से ओपीसी कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर रहे हैं। श्री सचदेवा ने बताया कि उन्होंने नए निदेशकों को जोड़ने और कंपनी के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नियुक्त करने के लिए बोर्ड प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने आगे बताया कि वे श्री प्रदीप कुमार सचदेवा नामक एक निदेशक को जोड़ रहे हैं।

3. इकाई के लिए शेयरधारिता पैटर्न का विवरण निम्नानुसार है:

शेयरधारक का नाम	**परिवर्तन से पहले शेयर होल्डिंग**		**परिवर्तन के बाद शेयर होल्डिंग्स**		**पद का नाम**
	शेयरों की संख्या	**% शेयर होल्डिंग**	**शेयरों की संख्या**	**% शेयर होल्डिंग**	
श्री विपुल सचदेवा	10000000	100%	9,00,000.00	90%	निदेशक
श्री प्रदीप कुमार सचदेवा	0.00	0.00	1,00,000.00	10%	निदेशक
कुल	**10000000**	**100%**	**10,00,000.00**	**100&**	

4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद कंपनी के संविधान को ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर प्राइवेट लिमिटेड करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें श्री प्रदीप कुमार सचदेवा को कंपनी में 10% शेयर के साथ नए निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। अनुमोदन समिति ने कंपनी का नाम बदलकर आर्टिस्टा होम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से आर्टिस्टा होम प्राइवेट लिमिटेड करने को भी मंजूरी दे दी है। यह निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज़/सूचना प्रस्तुत करने के अधीन है:

i. ईपीसीईएस प्रमाणपत्र की प्रति।
ii. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (एपीआर) ।

4.	**29.09.2017 के स्वीकृति पत्र (LOA) में अधिकृत संचालन के रूप में अतिरिक्त आइटम/आईटीसी (एचएस) कोड को शामिल करने के लिए मेसर्स पार्थ एक्सपोर्ट्स का प्रस्ताव।**

सुरेंद्र मलिक

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स पार्थ एक्सपोर्ट्स ने अपने अधिकृत संचालन के लिए दिनांक 29.09.2017 के स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोड के संशोधन/समावेश के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह सूचित किया जाता है कि इकाई ने 18.02.2020 से अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है और इसका स्वीकृति पत्र (LOA) 17.02.2025 तक वैध है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 तक पहले ब्लॉक के दौरान, इकाई का निर्यात 5764.61 लाख रुपये था, जिसमें कोई विदेशी मुद्रा बहिर्वाह नहीं था। इसलिए, इकाई के लिए निवल विदेशी मुद्रा (NFE) अपने संचालन के पहले वर्ष के लिए 5764.61 लाख रुपये रहा। इसके अलावा, इकाई के पास 03.09.2024 तक निर्धारित समय से परे प्राप्ति के लिए 105.80 लाख रुपये की राशि लंबित थी।

2. इकाई के भागीदार श्री वासु गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे अपने विदेशी खरीदार की मांग के अनुसार अपने अधिकृत संचालन के लिए कुछ पुराने एचएस कोड को संशोधित कर रहे हैं और नए आईटीसी (एचएस) कोड जोड़ रहे हैं। समिति ने एमडीएफ वस्तुओं के उत्पादों और निर्यात के देश के बारे में पूछताछ की, जिसमें श्री गोयल ने बताया कि वे ट्रे और अन्य रसोई के सामान का निर्माण करेंगे और इन वस्तुओं को अमेरिका में निर्यात करेंगे।

3. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, दिनांक 29.09.2017 के स्वीकृति पत्र (LOA) में मौजूदा अधिकृत परिचालनों के **अतिरिक्त आईटीसी (एचएस) कोडों के संशोधन/समावेश** के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो अब निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	इकाई द्वारा दिया गया विवरण	आईटीसी(एचएस) कोड	डीजीएफटी के अनुसार विशिष्ट विवरण
1.	एल्युमिनियम के सामान	76151030	बर्तन: ----अन्य टेबल, रसोई या अन्य घरेलू सामान
2.	पीतल का सामान	74181021	बर्तन: ---पीतल के
3.	तांबे का सामान	74181022	बर्तन: ----तांबे के
4.	अन्य धातु के फर्नीचर का सामान	94032090	अन्य धातु फर्नीचर
5.	संगमरमर/पत्थर की कलाकृतियाँ	68029900	काम किया हुआ स्मारकीय या इमारती पत्थर (स्लेट को छोड़कर) और उसके सामान, शीर्ष 6801 के सामान के अलावा; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के मोज़ेक क्यूब्स और इसी तरह की अन्य चीज़ें, चाहे बैकिंग पर हों या नहीं; प्राकृतिक पत्थर (स्लेट सहित) के कृत्रिम रूप से रंगे हुए दाने, चिप्स और पाउडर - अन्य

सुरेंद्र मलिक

		68022110	संगमरमर के ब्लॉक या टाइलें
6.	लकड़ी का सामान	44199090	लकड़ी के बने टेबलवेयर और किचनवेयर - अन्य
7.	सामान एमडीएफ	44119429	अन्य: -- घनत्व 05 G/Cm³ से अधिक नहीं
8.	लालटेन/तूफान	94055000	गैर-विद्युत ल्यूमिनेयर और प्रकाश फिटिंग
		34060090	मोमबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और इसी तरह की अन्य वस्तुएं - अन्य
9.	लैंप	94051900	झूमर और अन्य इलेक्ट्रिक छत या दीवार प्रकाश फिटिंग, सार्वजनिक खुले स्थानों या मुख्य मार्गों को प्रकाशित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले को छोड़कर - अन्य
		94052900	इलेक्ट्रिक टेबल, डेस्क, बेडसाइड या फ्लोर-स्टैंडिंग ल्यूमिनेयर्स: -- अन्य

4. अनुमोदन इस तथ्य के अधीन है कि इकाई किसी भी ऐसे उत्पाद का आयात या निर्यात नहीं करेगी जो क्रमशः आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध है।

5. **विशेष आर्थिक क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में अनुमति के लिए सी एल गुप्ता ओवरसीज एलएलपी का प्रस्ताव।**

1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स सी एल गुप्ता ओवरसीज एलएलपी ने आयातित माल पर शुल्क का भुगतान किए बिना कैप्टिव बिजली उत्पादन के लिए सौर मॉड्यूल की खरीद के संबंध में अनुमति के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

2. इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री गिरधारी गुप्ता ने बताया कि वे इकाई सौर मॉड्यूल खरीदेंगे और उन्हें अपने प्लॉट ए-01 की छत पर स्थापित करेंगे और वे अपने प्लॉट ए-01 में ही सौर मॉड्यूल द्वारा उत्पन्न बिजली का उपयोग करेंगे।

3. समिति ने क्षमता और आयात के देश के बारे में पूछताछ की, श्री गिरधारी ने बताया कि सौर मॉड्यूल की कुल स्थापित क्षमता 1185 KWP होगी और वे चीन से माल आयात करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस सौर उत्पन्न बिजली का उपयोग कैप्टिव खपत के लिए करेंगे।

4. अनुमोदन समिति ने नोट किया कि वाणिज्य विभाग ने दिनांक 07.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से यह सूचित किया है कि **"विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा**

सुरेंद्र मलिक

	26 के अंतर्गत शुल्क लाभ इकाइयों को अक्षय ऊर्जा उपकरणों की स्थापना के साथ-साथ विशेष रूप से इकाई के कैप्टिव उपभोग के लिए कार्यालय ज्ञापन के लिए अनुमति दी जाती है, इस विशिष्ट शर्त के साथ कि बिजली घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) को नहीं दी जाएगी।" 5. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी कि ऐसे कैप्टिव सौर उत्पादन संयंत्र समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और तकनीकी मानकों का पालन करेंगे। इसमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ अनिवार्य पंजीकरण शामिल होगा, जहां ऐसे कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों की क्षमता 500 किलोवाट से अधिक है।
6.	**व्यक्तिगत सुनवाई का प्रस्ताव:** **मेसर्स इंडियन एलाइड एक्सपोर्ट्स।** 1. श्री शांतम गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने 31.01.2014 को अपने स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीकरण का अनुरोध किया। यह पूछे जाने पर कि इकाई ने अपने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) विक्रेताओं और लंबित निर्यात आय के अनुरूप प्राप्त ड्रॉबैक के बारे में अनुमोदन समिति द्वारा अपनी पिछली बैठक में मांगी गई पूरी अपेक्षित जानकारी क्यों नहीं प्रस्तुत की, श्री शांतम ने बताया कि बिलवार विवरण उपलब्ध नहीं थे और इकाई ने अपने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) आपूर्तिकर्ताओं की सूची उनके बकाए के साथ प्रस्तुत की थी। श्री शांतम ने आगे बताया कि उनके पास प्राप्त ड्रॉबैक का विवरण नहीं है और इसे मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीमा शुल्क से मांगा जा सकता है। 2. समिति ने नौ महीने से अधिक समय से लंबित विदेशी मुद्रा प्रेषण की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली, जिसमें श्री गोयल ने बताया कि उनके एडी बैंक (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) में 27.81 करोड़ रुपये की मौजूदा लंबित विदेशी मुद्रा में से बीआरसी बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की जीआर जमा की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि शेष विदेशी मुद्रा 1.5 साल के भीतर वसूल की जाएगी, जब वह अपनी विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई से परिचालन शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास वर्तमान में विदेशी खरीदार से 10 लाख रुपये का खरीद ऑर्डर है, जिसकी एक प्रति वह बैठक के बाद ईमेल में साझा करेंगे। 3. अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रस्ताव पर चर्चा की और निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया: i. इकाई के लिए प्राप्ति के लिए बकाया विदेशी मुद्रा पिछले कुछ वर्षों में 44.00 करोड़ रुपये से घटकर 27.81 करोड़ रुपये हो गई है। ii. इकाई ने 113.60 करोड़ रुपये का निर्यात किया है, जिसमें से 27.81 करोड़ आज की तारीख तक प्राप्ति के लिए लंबित है, जिसका अर्थ है कि इकाई के लगभग 23% निर्यात प्राप्ति के लिए लंबित हैं।

सुरेंद्र मलिक

	4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 10.12.2024 (5 वर्ष के दूसरे ब्लॉक की समाप्ति) तक स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी: i. निर्यात/आयात/घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) खरीद और घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री आदि सहित सभी लेन-देन की 100% जांच। ii. इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि बकाया लंबित विदेशी मुद्रा में कमी आए और लंबित विदेशी मुद्रा की स्थिति की निगरानी स्वीकृति पत्र (LOA) की समाप्ति यानी 10.12.2024 तक की जाएगी। iii. इकाई का स्टॉक सत्यापन और निगरानी विकास आयुक्त कार्यालय/सीमा शुल्क, मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा की जाएगी।
7.	**विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 के नियम 54 के प्रावधानों के अनुसार अगले ब्लॉक के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के बाद निम्नलिखित विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी:** **मेसर्स गिल्डार्ट इकाई-II** 1. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि मेसर्स गिल्डार्ट इकाई-II को पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, लकड़ी, तांबा, कांच, संगमरमर/पत्थर, सिरेमिक, रतन जूट, कपड़ा और लैंप आर्टवेयर से बने हस्तशिल्प वस्तुओं के विनिर्माण और निर्यात के लिए दिनांक 05.07.2005 को LOA संख्या NSEZ/4-169/2003-MBD/443 प्रदान किया गया था। इकाई ने 18.05.2009 को अपना उत्पादन शुरू किया और 17.05.2024 को 5 साल का अपना तीसरा ब्लॉक पूरा किया। 2. यह बताया गया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(6ए)(1) के अनुसार, इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) को विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा 18.05.2024 से 17.05.2029 तक पांच साल के चौथे ब्लॉक के लिए नवीनीकृत किया गया है। इसके अलावा, इकाई ने अपने संचालन के चौथे ब्लॉक के लिए निर्यात का एफओबी मूल्य 7400.00 लाख रुपये, विदेशी मुद्रा व्यय 670.00 लाख रुपये और निवल विदेशी मुद्रा (NFE) 6730.00 लाख रुपये प्रस्तावित किया है। 3. समिति को सूचित किया गया कि 5 साल के अपने तीसरे ब्लॉक में इकाई द्वारा उत्पन्न कुल निर्यात आय 4783.52 लाख रुपये है और कुल विदेशी मुद्रा व्यय 387.90 लाख रुपये है। इसलिए, तीसरे ब्लॉक में इकाई द्वारा शुद्ध विदेशी मुद्रा आय 'सकारात्मक' है और यह 4395.62 लाख रुपये है। इकाई के पास 02.09.2024 तक

सुरेंद्र मलिक

	निर्धारित समय अवधि के नौ महीने से परे प्राप्ति के लिए 1.24 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा भी लंबित है। 4. अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रदर्शन की संतोषजनक निगरानी की और पाया कि इकाई ने 18.05.2019 से 17.05.2024 की अवधि के दौरान अपने परिचालन के तीसरे ब्लॉक में 'सकारात्मक' निवल विदेशी मुद्रा (NFE) हासिल किया है। 5. अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि लंबित विदेशी मुद्रा का विवरण इकाई के साथ साझा किया जाएगा ताकि इसकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली जा सके।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त